

# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568 ] No. 568 ] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22, 2003/अग्रहायण 1, 1925 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22, 2003/AGRAHAYANA 1, 1925

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय )

अधिसूचना

मुंबई, 27 अक्तूबर, 2003

सं. फेमा 106/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध—( भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना )

( जौथा संशोधन ) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 899(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 42) की धारा 47 की धारा 6 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000—आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

#### संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- 1. (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा जारी करना) (चौथा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
  - (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

## विनियमावली में संशोधन :

- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा जारी करना) विनियमावली 2000, में अनुसूची 5 में
  - (क) पैराग्राफ 2 में उप-पैराग्राफ (2) के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, नामत:
    - ''(3) बहुपक्षीय विकास बैंक, जो भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से भारत में रुपया बांड जारी करने के लिए अनुमत है, वह सरकारी दिनांकित प्रतिभृतियां खरीद सकते हैं।''
  - (ঞ) पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (3) के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ जोड़ा जाएगा, नामत: :--

3510 GI/2003

- ''(4) बहुपक्षीय विकास बैंक जो इस अनुसूची के अंतर्गत सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां खरीदता है, वह सामान्य बैंकिंग माध्यम से आवक प्रेषणों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष अनुमोदन से खोले गए खाते में जमा निधियों से भुगतान करेगा।''
- (ग) पैराग्राफ 5 में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामत:,
  - "(iii) बहुपक्षीय विकास बैंक द्वारा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों की बिक्री के मामले में, निवल परिपक्वता आय (करों के भुगतान के पश्चात्) को विदेश में प्रेषण किया जाए अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष अनुमोदन से खोले गए खाते में जमा किया जाए।"

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खंड-[[] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVEBANK OF INDIA)

(Exchange Control Department)

(Central Office)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 27th October, 2003

#### No. FEMA 106/2003-RB

# Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 899(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No: FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely:—

# Short title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) (Fourth Amendment) Regulations, 2003.
  - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

# Amendment of the Regulations

- 2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, in Schedule 5,
  - (a) in paragraph 2, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be added, namely:—
    - "(3) A Multilateral Development Bank which is specifically permitted by Government of India to float rupee bonds in India may purchase Government dated securities."
  - (b) In paragraph 3, after sub-paragraph (3) the following sub-paragraph shall be added, namely:—
    - "(4) A Multilateral Development Bank which purchases Government dated securities under this Schedule, shall make payment either by inward remittance through normal banking channels or out of funds held in the account opened with the specific approval of RBI."
  - (c) in paragraph 5, after clause (ii), the following clause shall be added, namely:—
    - "(iii) in the case of sale of Government dated securities by a Multilateral Development Bank, the net maturity proceeds (after payment of taxes) may be remitted abroad or credited to fund account opened with the prior permission of the Reserve Bank."

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol. II]
USHA THORAT, Executive Director

# अविस्थना

# मुंबई, 29 अक्तूबर, 2003

#### सं. फेमा 107/2003-आरबी

# विदेशी मुद्रा प्रबंध—( माल और सेवाओं का निर्यात ) ( संशोधन ) विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 900(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) उपधारा (3), और धारा 47 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग और दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 23/2000-आरबी में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत:.

# 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

#### 2. विनियमावली में संशोधन :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 में, उप-विनियम 'घ' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

''घ— घोषणा फार्म की दसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी के पास रखी जाए

निर्यात आय की वसूली हो जाने पर निर्यात घोषणा फार्मों, अर्थात् जीआर, पी पी और सॉफ्टेक्स की दूसरी प्रतियां एवं लदान बिलों की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपियां संबंधित सांविधिक घोषणा फॉर्म के साथ प्राधिकृत व्यापारियों के पास रखी जाएगी।''

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खंड-II]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October, 2003

#### No. FEMA 107/2003-RB

# Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 900(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) and Sub-section (3) of Section 7, Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 23/2000-RB dated 3rd May. 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000, namely:

#### 1, Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2003.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Government of India.

#### 2. Amendment to the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services) Regulations, 2000 in Regulation 6, the sub-regulation 'D' shall be substituted with the following, namely:

"D Duplicate Declaration Forms to be retained with Authorised Dealers

On the realisation of the export proceeds, the duplicate copies of export declaration forms viz. GR, PP and SOFTEX and Exchange Control copies of the shipping bills together with related Statutory Declaration Forms shall be retained by the Authorised Dealers."

[F. No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

USHATHORAT, Executive Director